

उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/88

पं.सं.34-ई/6 सी.पी.सी./DA/88

दिनांक 28/03/2009.

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
मान्य मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Payment of Dearness Allowance to Railway
employees -- Revised rates effective from 01/01/2009.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. पी.सी-PC-VI/2008/17/2/1 दिनांक 17/3/2009
(आर.बी.ई.सं.50/2009) क्र.सं. पी.सी.-VI/88 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमें उल्लिखित रेल मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक
9/9/2008(आर.बी.ई.सं.106/2008) की प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 13500/3 के अन्तर्गत भेजी जा
चुकी हैं।

संलग्न/यथोक्त

(Om Prakash)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव; एनआरएमयू, 12 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव; अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी
लाजपतनगर, नई दिल्ली-24
4. महासचिव; अ0भा0अ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए,3 बसंत लेन नई दिल्ली।

18 MAR 2009

पूर्वाह्न

नई दिल्ली

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी सी-VI/88

सं. पी सी-VI/2008/I/7/2/1

आर बी ई सं. 50 /2009

नई दिल्ली, दिनांक: 17.03.2009

Northern Ry

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

(डाक सूची के अनुसार)

मु. का. आ. चि. प्रशा.

उप. मु. का. आ. चि. प्रशा.

विषय: रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी - 01.01.2009 से
लागू संशोधित दरें।

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 09.09.2008 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पीसी-VI/3, आरबीई सं. 106/2008) का अवलोकन करें। राष्ट्रपति जी ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि रेल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2009 से 16% की मौजूदा दर से 22% तक बढ़ा दिया जाएगा।

2. इस मंत्रालय के 09.09.2008 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पीसी-VI/3, आरबीई सं. 106/2008) के पैरा 3, 4 एवं 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान समस्त रेल कर्मचारियों को नकद रूप में किया जाएगा। बकाया राशि को मार्च 2009 के वेतन बिल में प्रभारित किया जाए और इस प्रयोजन हेतु अलग बिल बनाने के लिए कोई मानदेय देय नहीं है।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कोशी थॉमस

(कोशी थॉमस)

सं.निदेशक, वेतन आयोग-II,
रेलवे बोर्ड

FOR CIRCULATION

EIV

15-241/2013

Government of India/ भारत सरकार
Ministry of Railways/ रेल मंत्रालय
(Railway Board / रेलवे बोर्ड)

S.No.PC-VI/ 88

RBE No. 50 /2009

No. PC-VI/2008/II/7/2/1

New Delhi, dated 17 .03.09

The GMs/CAO(R)
All Indian Railways & Production Units
(as per mailing list)

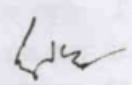
**Sub : Payment of Dearness Allowance to Railway
employees - Revised rates effective from
01.01.2009**

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 09.09.2008 (S No.PC-VI/3, RBE No. 106/2008) on the subject mentioned above. The President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of 16 % to 22% with effect from 1st January 2009

2. The provisions contained in Paras 3, 4 & 5 of this Ministry's letter of even number dated 09.09.2008 (S No.PC-VI/3, RBE No. 106/2008) shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all Railway employees. The arrears may be charged to the salary bill for March, 2009 and no honorarium is payable for preparing separate bill for this purpose.

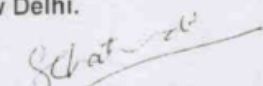
4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.


(Koshi Thomas)
Joint Director, Pay Commission-II
Railway Board

No.PC-VI/2008/II/7/2/1

New Delhi, dated 17.03.2009

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.


for Financial Commissioner/Railways